SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.) Case No. 297//7 Complaint or report madeon Name and address of the Complainant..... 3/149 SING 41197 - 3/183 Name, parentage, caste and address of accused. D 311मेर 310 महेन्द्र स्तिष्ट 2112व 19 वर्ष श ल्याकी उसी शहल 510 क्रिका कि कि मिल्लिया 25 वर्ष 3 अजंघ डा॰ दलबीर सिंह थारब २०वर्ष-समस्र निवासी 2001 अहरिंड मोहक्क्या वार्ड 12 और PS. और The offence, complainant of, and date of, its alleged commission आप पर आरोप हैं कि दिनांक ...\. - \. - े को करीब 17:15 बजे मुकाम सार्वजनिक स्थान ह्रेटीले हन्मान् अत्रेद पार्ट्सट् गार्रेड पर ताश के पत्तों से रूपये पैसे की हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेलते हुए पाए गए। ऐसा करके आपने सार्वजनिक द्यूत अधिनियम 1867 की धारा 13 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया। क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो। The plea of the accused and his examination (if any) अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है। The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of

the property in respect of which the offence has been committed.

//निर्णय// (आज दिनांक 14-11-17 को घोषित)

आरोपी / गण को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे सार्वजनिक ध्रत अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत स्वेच्छया स्वीकारोंक्ति के आधार पर दंण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपीगण के विरुद्ध अभिलेख पर कोई 02. पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी/गण को सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए अर्थदण्ड 100-100 रूपये (प्रत्येक अभियुक्त के लिये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राषि के संदाय के व्यतिकम की दषा में अभियुक्त / गण को दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

अमियुक्तगुण से जप्तषुदा राशि ... ५७.३०.३०.. अपील अवधि पश्चात् राजसात् 03. की जाये तथा जप्तसुदा मूल्यहीन सम्पत्ति ताश 5.2......पत्तों को नष्ट कर व्ययनित की जाये। सुपुर्दगी पर दी गयी संपत्ति के संबंध में सुपुर्दगीनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में निरस्त समझा जावे। अपील की दशा में मानं० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो। जब्तशुदा अपराध से संबंधित एवं

उसकी विषय वस्तु न होने से जिस व्यक्ति से जब्त की गयी छसे लौटाई जावे।

मेरे निर्देशन पर टंकित

Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.)